

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या: ८१-1 /सत्ताईस-1-2024-13/23
लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2024

कार्यालय-आदेश

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० सिविल संवर्ग के श्री अखिलेश कुमार, प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) को शासन के अग्रिम आदेशों तक प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री अखिलेश कुमार, प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) को पृथक से वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा तथा उक्त आदेश दिनांक 01.06.2024 से प्रभावी होगा।

सिद्धाशरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी, जलशक्ति विभाग, उ०प्र०।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. समस्त अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
12. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
अनु सचिव।